न्यायालय सहायक कलक्टर,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
02/2023	10.01.2023	24.05.2024

उनवान

1. किशन पुत्र श्री जोधा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. गोपी लाल पुत्र श्री छोगा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. चांदी पुत्री श्री जोधा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. जमनी पुत्री श्री जोधा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. नानू पुत्री श्री छोगा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. बदाम पुत्री श्री छोगा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. बाली पुत्री श्री छोगा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. रामलाल पुत्र श्री छोगा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. शम्भू लाल पुत्र श्री छोगा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. सयरी पुत्री श्री छोगा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. सोहनी पुत्री श्री छोगा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
12. हेमराज पुत्र श्री जोधा मुतबन्ना मोतीराम जाट जाति जाट आयु वयस्क निवसी पार्वतीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
13. नानी पुत्री श्री छोगा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. गोपाल व्यास पुत्र श्री हीरालाल व्यास आयु वयस्क निवासी बस स्टेण्ड के पास कारोई कलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. कैलाशी देवी पत्नी श्री गोपाल व्यास आयु वयस्क निवासी बस स्टेण्ड के पास कारोई कलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. वादी अधिवक्ता पृथ्वीराज चौधरी
2. प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 24.05.2024

Ahad

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है कि सरहद पार्वतीपुरा पटवार हल्का गुरला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे वादीगण के खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि खाता संख्या 98 मे आराजी नम्बर 233 रकबा 1.8588 हैक्टयर स्थित है। जो वादीगण के खातेदारी हक अधिकार की होकर राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के नाम पर दर्ज है। जिस पर वादीगण काबिज होकर उसका शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजी पर वादीगण काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 ने आपस मे मिलीभगती कर रखी है व प्रतिवादीगण जो कि वादीगण की उक्त आराजीयात को हड़प करना चाहते है, इसी नियत से आये दिन वादीगण के उपयोग उपभोग मे व्यवधान पैदा कर रहे है व वादीगण को वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजियात से जबरन बेदखल करने की धमकिया देते है व वादीगण को बेदखल कर अपना कब्जा करने की धमकिया देते है व आये दिन वादीगण की भूमि मे नुकसान पहुंचाते है व जबरन कब्जा कब्जा करने की धमकिया देते है। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं है।

प्रतिवादीगण द्वारा अवैध तरीके से अवैध निर्माण करने की नियत से वादीगण की भूमि मे कब्जा करने की नियत से नीव खोदकर कब्जा करने लग गये, वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को मना किया व कहा कि तुम्हारी व हमारी जमीन की पत्थरगढ़ी करा लेते है, इसके बाद ही नीवे आदि खोदना, लेकिन प्रतिवादीगण मानने को तैयार नही है व दिनांक 15 दिसम्बर 2022 को प्रतिवादीगण द्वारा जबरन मौके पर पत्थर आदि डाल दिये है व जबरन मौके पर नीवे खोदने व अवैध निर्माण करने पर आमादा है। मना करने पर भी नही मान रहे हे। इस कारण से वादीगण को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है।

यदि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर देगे व किसी प्रकार से वादीगण की भूमि के कब्जा कर लेगे व किसी प्रकार का निर्माण आदि कर लेगे तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा। इस कारण से वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 वादीगण को सरहद पार्वतीपुरा पटवार हल्का गुरला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे वादीगण के खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि खाता संख्या 98 मे आराजी नम्बर 233 रकबा 1.8588 हैक्टयर भूमि से या उसके किसी भू भाग से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे व वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात का शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे तथा वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और किसी प्रकार का निर्माण आदि नही करे व न ही किसी अन्य से करावे व प्रतिवादीगण मौके की यथास्थिति बनायी रखे।

यदि दौराने वाद यदि प्रतिवादीगण वादीगण की वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजी पर कब्जा कर लेवे व वर्तमान स्वरूप मे किसी प्रकार का परिवर्तन कर देवे तो जरिये आदेशात्मक व्यादेश के कब्जा वापस वादीगण को दिलाया जावे व वर्तमान स्थिति बहाल करायी जावे।

वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिनाय वाद दिनांक 15 दिसम्बर 2022 से उत्पन्न होकर निरन्तर रूप से जारी है। वादग्रस्त आराजी सरहद पार्वतीपुरा पटवार हल्का गुरला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) की सीमाक्षेत्र में स्थित होने से यह वादपत्र आप न्यायालय के क्षेत्र एवं श्रवणाधिकार का होने से आप न्यायालय के समक्ष पेश है।

वादीगण का वादपत्र पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण के सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादी संख्या 01 से 02 की ओर से वकालतनामा/जवाब प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 15.03.2024 को प्रतिवादीगण का जवाब बंद किया गया। प्रतिवादीगण के नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण साक्ष्यवादी में नियत किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य में शपथ पत्र किशन जाट का पेश हुआ।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण में वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस बताया कि वादपत्र में अंकित बिन्दुओं अनुसार वादीगण ग्राम पार्वतीपुरा प0 ह0 गुरला तह0 भीलवाड़ा के आराजी न0 233 कुल किता 01 कुल रकबा 1.8588 है0 भूमि का खातेदार दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध तरीके से अवैध निर्माण करने की नियत से वादीगण की भूमि में कब्जा करने की नियत से नीव खोदकर कब्जा करने एवं वादी को बेदखल करने पर आमादा है। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी जारी कराई जाए।

वादीगण के वादपत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। वादीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त ग्राम पार्वतीपुरा प0 ह0 गुरला तह0 भीलवाड़ा के आराजी नम्बर 233 कुल किता 01 कुल रकबा 1.8588 है0 भूमि खाता संख्या 98 में किशन पुत्र जोधा जाट सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार वादीगण वादग्रस्त आराजियात के खातेदार होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीए का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएवं

–:आदेश:–

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीए का स्वीकार किया जाकर ग्राम पार्वतीपुरा प0 ह0 गुरला तह0 भीलवाड़ा के आराजी नम्बर 233 कुल किता 01 कुल रकबा 1.8588 है0 भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 02 के इस आशय की जारी की जाती है कि वादीगण की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करे एवं कब्जे काश्त में दखल नहीं करे। जबरन अवैध निर्माण नहीं करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे। तदनुसार डिकी जारी करे।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा

वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाडा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी –आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

उनवान

1. किशन पुत्र श्री जोधा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. गोपी लाल पुत्र श्री छोगा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. चांदी पुत्री श्री जोधा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. जमनी पुत्री श्री जोधा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. नानू पुत्री श्री छोगा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. बदाम पुत्री श्री छोगा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. बाली पुत्री श्री छोगा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. रामलाल पुत्र श्री छोगा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. शम्भू लाल पुत्र श्री छोगा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. सयरी पुत्री श्री छोगा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. सोहनी पुत्री श्री छोगा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
12. हेमराज पुत्र श्री जोधा मुतबन्ना मोतीराम जाट जाति जाट आयु वयस्क निवसी पार्वतीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
13. नानी पुत्री श्री छोगा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. गोपाल व्यास पुत्र श्री हीरालाल व्यास आयु वयस्क निवासी बस स्टेण्ड के पास कारोई कलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. कैलाशी देवी पत्नी श्री गोपाल व्यास आयु वयस्क निवासी बस स्टेण्ड के पास कारोई कलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या–02/2023 राजस्व वाद

Ahad

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पृथ्वीराज चौधरी उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 उपस्थित नही में – इस वाद में तारीख 24.05.2024 पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है –

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीए का स्वीकार किया जाकर ग्राम पार्वतीपुरा प0 ह0 गुरला तह0 भीलवाड़ा के आराजी नम्बर 233 कुल किता 01 कुल रकबा 1.8588 है0 भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 02 के इस आशय की जारी की जाती है कि वादीगण की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करे एवं कब्जे काश्त में दखल नहीं करे। जबरन अवैध निर्माण नहीं करे।

आज दिनांक 24.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा